तत्काल

दूरभाष:-24361852
24366794
24368158

संख्या - 6/2/20223-हिंशियो.(मु)/ 599

भारत सरकार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

हिंदी शिक्षण योजना (मुख्यालय)

Government of India

Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Hindi Teaching Scheme (HQ)

7वां तल, अंत्योदय भवन,
सी जी ओ कांप्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
7th Floor, Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003
दिनांक/Dated : 05/03/2024

सेवा में

1. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/ कार्यालयाध्यक्ष (दक्षिण/पूर्व/पश्चिम),
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
चेन्नै/कोलकाता/मुंबई ।

2. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली ।

3. उप निदेशक (प्रभारी),
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
हैदराबाद ।

विषय:- वर्ष 2024-25 के लिए गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण, गहन हिंदी / हिंदी टंकण-हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण एवं पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा एवं शब्द संसाधन / हिंदी टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, हिंदी कार्यशालाओं तथा अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह सूचित करना है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, आशुलिपि, हिंदी कार्यशालाएँ तथा अन्य अल्पकालिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए वर्ष 2024-25 के लक्ष्य संकाय सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित कर दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

1. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / उप संस्थानों के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, आशुलिपि, हिंदी कार्यशालाएँ तथा अन्य अल्पकालिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भाषा प्रशिक्षण संबंधी क्षेत्रीय मांग व प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 'प्रबोध' को सम्मिलित करते हुए (प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रम) प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 'पारंगत' को सम्मिलित करते हुए (प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत पाठ्यक्रम) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं।

2. तदनुरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों के लिए गहन हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण-आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्र. सं.	प्रशिक्षण केंद्र का नाम	भाषा : कार्यक्रम एवं लक्ष्य				टंकण : कार्यक्रम एवं लक्ष्य		आशुलिपि : कार्यक्रम एवं लक्ष्य	
		प्रबोध समावेशी	पारंगत समावेशी	कुल कार्य.	कुल प्रशि.	कुल कार्य.	कुल प्रशि.	कुल कार्य.	कुल प्रशि.
1.	केहिप्रसं, नई दिल्ली	--	10	10	270	03	90	01	30
2.	उप संस्थान, कोलकाता	--	10	10	270	03	90	01	30
3.	उप संस्थान, मुंबई	09	--	09	270	03	90	01	30
4.	उप संस्थान, बेंगलुरु	--	--	--	--	--	--	--	--
5.	उप संस्थान, चेन्नै	09	--	09	270	--	--	--	--
6.	उप संस्थान, हैदराबाद	--	--	--	--	03	90	01	30
	कुल	18	20	38	1080	12	360	04	120

3. निदेश दिए जाते हैं कि वर्ष 2024-25 हेतु गहन भाषा प्रशिक्षण कैलेंडर - 'प्रबोध' को सम्मिलित करते हुए एवं 'पारंगत' को सम्मिलित करते हुए, स्थानीय मांग, प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता एवं अवकाशों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आधार पर तैयार कर निदेशक, संस्थान का अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जाए।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 की चार तिमाहियों को अप्रैल-जून, 2024, जुलाई-सितंबर, 2024, अक्तूबर-दिसंबर, 2024 तथा जनवरी-मार्च, 2025 में विभाजित किया गया है। तदनुसार केंद्रों पर प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ तथा प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए तिमाही आधारित कार्यक्रम निम्नानुसार संचालित किए जाएं :-

प्रबोध को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल कार्यक्रम / प्रशिक्षार्थी
प्रबोध प्रवीण	प्राज्ञ प्रबोध	प्रवीण प्राज	प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ	प्रबोध 03 कार्यक्रम प्रवीण 03 कार्यक्रम प्राज्ञ 03 कार्यक्रम
				कुल - 09 कार्यक्रम 270 प्रशिक्षार्थी प्रति सहायक निदेशक

*नोट :- उक्त तिमाही कार्यक्रम के अनुसार यदि प्रबोध की कक्षा का गठन न हो रहा हो तो उसके स्थान पर प्रवीण की विशेष कक्षा का गठन किया जाए और यदि प्रवीण की कक्षा का गठन भी न हो रहा हो तो प्राज्ञ की विशेष कक्षा का गठन किया जाए।

पारंगत को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल कार्यक्रम / प्रशिक्षार्थी
प्रवीण प्राज्ञ	पारंगत प्रवीण प्राज्ञ	पारंगत प्रवीण	प्राज्ञ पारंगत प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत	प्रवीण 03 कार्यक्रम प्राज्ञ 03 कार्यक्रम पारंगत 03 कार्यक्रम 01 अतिरिक्त कार्यक्रम
				कुल- 10 कार्यक्रम 270 प्रशिक्षार्थी प्रति सहायक निदेशक

*नोट:- पारंगत को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने वाले सहायक निदेशक, चतुर्थ तिमाही में प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत का एक अतिरिक्त कार्यक्रम भी चलाएंगे।

*नोट:- इसी प्रकार यदि ऊपर पैरा - 3 में दी गई तालिका के अनुसार गहन आशुलिपि की कक्षा का गठन नहीं हो पाता है तो हिंदी आशुलिपि की एक कक्षा के स्थान पर हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की दो कक्षाओं का गठन किया जाए।

5. इसके अतिरिक्त केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में निम्नलिखित पत्राचार पाठ्यक्रमों, हिंदी कार्यशालाओं तथा अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उनमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का लक्ष्य भी निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

पाठ्यक्रम	भाषा पत्राचार	टंकण पत्राचार	कार्यशालाएं	अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	
कार्यक्रम	01	02	03	अभिमुखीकरण	01 कार्यक्रम
प्रतिभागी	2000	500	90	पुनश्चर्या	02 कार्यक्रम
				प्रशिक्षकों के लिए	01 कार्यक्रम

*नोट:- अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य प्रतिभागियों के नामन पर आधारित होगा।

...4/-

6. पूर्व पृष्ठों पर दर्शाए विवरणानुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समेकित लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं :-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	गहन हिंदी भाषा प्रशिक्षण	38	1080
2.	गहन हिंदी कार्यशालाएं	03	90
3.	अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण	04	नामन पर आधारित
4.	पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण	01	1000
5.	गहन हिंदी टंकण	12	360
6.	गहन हिंदी आशुलिपि	04	120
7.	पत्राचार द्वारा हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण	02	500
8.	केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, प्रवेशण / पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	03	अधिकतम 35 प्रशिक्षार्थी प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम

7. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों में गत सत्रों के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा में देखा गया है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों के कुछ केंद्रों पर गहन हिंदी कक्षाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नामांकन/दाखिला नहीं हो पा रहा था। इस संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार वे सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना की कक्षाओं का संचालन करें। सभी क्षेत्रीय कार्यालय इस संबंध में निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएँ।

8. उप संस्थानों से संबंधित सभी सहायक निदेशकों को निदेश दिए जाते हैं कि वे उपर्युक्त तालिका में दर्शाए अनुसार गहन प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत की कक्षाओं का संचालन करें। चूँकि उपर्युक्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित हैं, अतः उक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रथम तिमाही 01 अप्रैल, 2024 से प्रारंभ होगी।

10. उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का संपूर्ण दायित्व संबंधित संयुक्त निदेशकों / उप निदेशकों का है। सभी उप संस्थानों का प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित क्षेत्रों के संयुक्त निदेशकों (भाषा) / उप निदेशकों (हिशियो) / कार्यालयाध्यक्षों को सौंपा गया है, अतएव सभी संयुक्त निदेशक (भाषा) / उप निदेशक (हिशियो), कार्यालयाध्यक्ष, उप संस्थानों में कार्यरत सहायक निदेशकों को दिशा-निर्देश देते हुए उनके कार्य का समय-समय पर निरीक्षण कर प्रशिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं का समाधान भी करेंगे एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा उप संस्थानों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले गहन हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत), हिंदी कार्यशालाओं, अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गहन हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण - हिंदी आशुलिपि एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों (हिंदी भाषा/हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण) के गठन के बाद एक सप्ताह के अंदर सहायक निदेशकवार विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की स्थिति से निदेशक (संस्थान) को अवगत कराना आवश्यक है। संस्थान / उप संस्थानों के प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने पर निष्पादन रिपोर्ट भेजना भी अनिवार्य है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मासिक / त्रैमासिक/ अर्ध-वार्षिक / वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा विभाग को यथासमय भेजी जा सके। साथ ही, संबंधित उप निदेशक / प्रभारी सहायक निदेशक अपने-अपने संस्थान / उप संस्थान की उपर्युक्त रिपोर्टें यथासमय भिजवाना सुनिश्चित करें ।

प्रशिक्षण से संबंधित प्रत्येक प्रशिक्षार्थी का डाटा प्रणाली में सही एवं समय पर भरना सुनिश्चित करवाएँ।

भवदीय

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
2. उप सचिव (प्रशासन/ बजट), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी भवन-II, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक(टं/आ), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (भाषा)/ सलाहकार, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली
6. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर/कोलकाता, नई दिल्ली/ कोलकाता।
7. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. प्रभारी सहायक निदेशक (भाषा), बैंगलुरु।
9. सहायक निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (भाषा/मुख्यालय) एवं नोडल अधिकारी (प्रणाली), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
11. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराएँ।

हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा उपसंस्थानों में

<u>वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षण हेतु तिमाहीवार समेकित लक्ष्य</u>

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2024-25)	प्रथम तिमाही (अप्रैल, 2024 से जून, 2024)	द्वितीय तिमाही (जुलाई, 2024 से सितम्बर, 2024)	तृतीय तिमाही (अक्तूबर,2024 से दिसम्बर, 2024	चतुर्थ तिमाही (जनवरी,2024 से मार्च, 2025)
हिंदी भाषा (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	22960 19880 +2000 + 1080 योजना पत्राचार गहन	12210 9940 +2000 + 270 योजना पत्राचार गहन	270 270 गहन	10210 9940 + 270 योजना गहन	270 270 गहन
हिंदी टंकण	4140	150	1920	90	1920
हिंदी आशुलिपि	3160 + 500 + 480 योजना पत्राचार गहन	150 गहन	1580 + 250 + 90 योजना पत्राचार गहन	90 गहन	1580 + 250 + 15 योजना पत्राचार गह
हिंदी कार्यशालाएँ	03 कार्यक्रम 90 प्रतिभागी	02 कार्यक्रम 60 प्रतिभागी		01 कार्यक्रम 30 प्रतिभागी	
अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	04 कार्यक्रम नामन पर आधारित	02 कार्यक्रम नामन पर आधारित		02 कार्यक्रम नामन पर आधारित	
केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग, प्रवेशण/ पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	03 कार्यक्रम नामन पर आधारित (अधिकतम 35 प्रशिक्षार्थी)	02 कार्यक्रम नामन पर आधारित		01 कार्यक्रम नामन पर आधारित	

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक